<u>फर्द अहकाम</u>

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

~~[illegible]~~ छीतर वगै.

—वाद

मुकदमा नम्बर :– 67/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	29/9/25	प्रिजाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 6/10/25 को पेश हो। [signature]
	6/10/25	प्र.क. अपयवाद प्रा.पत्र पेश हुआ। को शामिल पत्रावली किया गया। बहस प्रा.पत्र पर सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरेजात विवरण रूप के प्राप्त हुये हैं। जिनको प्रा.पत्र वापसी कुरेजात का स्वीकार किया जाता है। साथ ही तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरेजात के अनुसार वादीया का वाद संकेत डिक्री किया जाता है। निर्णय टंकण से लिखवा कर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दर्ज रजिस्टर केस का हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ, जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूं, जिला–जयपुर
पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–67/2024

उनवान

सन्ती देवी उर्फ शांति देवी पत्नी रामधन, उम्र 63 वर्ष, जाति जाट, निवासी बडकुआं की ढाणी, ग्राम नांगल पुरोहितान, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. छीतर पुत्र हरनाथ
2. मनभरी देवी पत्नी अर्जूनलाल
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय चौमूँ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. बैंक ऑफ बडौदा, जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा राजावास जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक :–06.10.2025

पत्रावली पेश हुई, वकील फरिकेन उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.06.2025 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। तहसीलदार चौमूं से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट विधिवत रुप से प्राप्त हुये है। कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रार्थीया/वादीया द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् ऐतराज कुर्रेजात पेश किया गया जिस पर बहस सुनी गई। आपत्ति प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 11.09.2025 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि वाके ग्राम हाडोता, पटवार हल्का हाडोता, भू0अ0नि0 क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर, में हाल खाता संख्या 63में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1073 रकबा 0.7100 हैक्टेयर, कुल किता 01 का कुल रकबा 0.7100 हैक्टेयर,

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं, जयपुर

मुकदमा सं. 67 / 2024
उनवान–सन्ती देवी उर्फ शान्ति देवी बनाम छीतरवगै0
निर्णय दिनांक–06.10.2025

हाल खाता संख्या 65 में वर्णित खसरा नम्बर 1072 रकबा 0.91 हैक्टेयर, कुल किता 01 का कुल रकबा 0.9100 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. सन्ती देवी उर्फ शान्ती पत्नी रामधन हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1072 / 1 रकबा 0.4360 है0, खसरा नम्बर 1073 / 1 रकबा 0.3090 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.7450 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. छीतर पुत्र हरनाथ हिस्सा 1300 / 8750 बिलारहन जाति जाट मनभरी देवी पत्नी अर्जुनलाल हिस्सा 7450 / 8750 राहिन एचडीएफसी बैंक शाखा चौमूं मूर्तहीन जाति जाट सा0देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1072 / 2 रकबा 0.4740 है0, खसरा नम्बर 1073 / 2 रकबा 0.4010 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.8750 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
(फा0 ट्रे0 / मुख्यालय)चौमूँ

मुकदमा सं. 67/2024
उनवान–सन्ती देवी उर्फ शान्ति देवी बनाम छीतरवगै0
निर्णय दिनांक–06.10.2025

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–67/2024

उनवान

सन्ती देवी उर्फ शांति देवी पत्नी रामधन, उम्र 63 वर्ष, जाति जाट, निवासी बडकुआं की ढाणी, ग्राम नांगल पुरोहितान, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–वादी–

<u>बनाम</u>

1. छीतर पुत्र हरनाथ
2. मनभरी देवी पत्नी अर्जूनलाल
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमॅू, तहसील चौमॅू, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय चौमॅू, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. बैंक ऑफ बडौदा, जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा राजावास जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

<u>दावा बाबततकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

मुकदमा नं0:–67/2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि वाके ग्राम हाडोता, पटवार हल्का हाडोता, भू0अ0नि0 क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर, में हाल खाता संख्या 63में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1073 रकबा 0.7100 हैक्टेयर, कुल किता 01 का कुल रकबा 0.7100 हैक्टेयर, हाल खाता संख्या 65 में वर्णित खसरा नम्बर 1072 रकबा 0.91 हैक्टेयर, कुल किता 01 का कुल रकबा 0.9100 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. सन्ती देवी उर्फ शान्ती पत्नी रामधन हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1072/1 रकबा 0.4360 है0, खसरा नम्बर 1073/1 रकबा 0.3090 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.7450 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. छीतर पुत्र हरनाथ हिस्सा 1300/8750 बिलारहन जाति जाट मनभरी देवी पत्नी अर्जुनलाल हिस्सा 7450/8750 राहिन एचडीएफसी बैंक शाखा चौमूं मूर्तहीन

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर

जाति जाट सा0देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1072/2 रकबा 0.4740 है0, खसरा नम्बर 1073/2 रकबा 0.4010 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.8750 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख़ वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 06.10.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....

ओहदा...........

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	3	जोड़	2

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner